



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce and Industry
Government of India)
Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन. एच. बाइपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोचिन - 682 025, भारत

सं.विपणन-नीलामी/समय-सारणी/01/2018

9.6.2023

परिपत्र

विषय: इलायची (छोटी) के लिए विशेष ई-नीलामी आयोजित करने की समय-सारणी।

जून 2023 के दौरान नियमित नीलामी के साथ-साथ विशेष नीलामी आयोजित करने की समय-सारणी नीचे दी गई है:

विशेष ई-नीलामी आयोजित करने वाला ई-नीलामकर्ता का नाम	नियमित नीलामी के साथ मेल खाने वाली विशेष नीलामी की तारीख	दिन	विशेष ई-नीलामी का स्थान	विशेष ई-नीलामी के लिए पूलिंग की तारीख	एसआरडी, पुट्टडी को नमूनों का वितरण
मैसर्स साउथ इंडियन ग्रीन कार्डमम कंपनी लिमिटेड।	23.06.2023 (दोपहर)	Friday	पुट्टडी	14.06.2023	15.06.2023 (पूर्वाह्न)
मैसर्स द कार्डमम प्लांटर्स मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड।	24.06.2023 (दोपहर)	Saturday	बोडिनायकन्नूर	15.06.2023	16.06.2023 (पूर्वाह्न)
मैसर्स हैडर सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड।	26.06.2023 (दोपहर)	Monday	पुट्टडी	16.06.2023	17.06.2023 (पूर्वाह्न)
मैसर्स एमएस एंटरप्राइजेज लिमिटेड।	29.06.2023 (दोपहर)	Thursday	पुट्टडी	19.06.2023	20.06.2023 (पूर्वाह्न)

बोर्ड पायलट चरण के बाद विशेष ई-नीलामी से संबंधित सुविधाओं/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार रखता है।

नीलामकर्ता पुट्टडी एवं बोडिनायकन्नूर में विशेष ई-नीलामी आयोजित करने के लिए संलग्नक -1 के रूप में संलग्न सामान्य अनुदेश एवं दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करेगा।

केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ संबंधित जिला प्रशासन द्वारा जारी संशोधित निर्देशों के अधीन समय-सारणी में परिवर्तन किया जा सकता है।

निदेशक (विपणन)

प्रति

1. मैसर्स साउथ इंडियन ग्रीन कार्डमम कंपनी लिमिटेड।
2. मैसर्स द कार्डमम प्लांटर्स मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड।
3. मैसर्स हैडर सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड।
4. मैसर्स एमएएस इंटरप्राइजेज लिमिटेड।

प्रतिलिपि:

उप निदेशक बोडिनयाकनूर / पुट्टडी।

उप निदेशक (ईडीपी) - बोर्ड की वेबसाइट पर परिपत्र होस्ट करने के लिए।

सामान्य अनुदेश :

1. इलायची के परीक्षित लॉट की विशेष ई-नीलामी संबंधित नीलामकर्ता की नियमित ई-नीलामी के मध्य में (अर्थात् कुल लॉट के आधे भाग के पूरा होने के बाद) निर्धारित तिथि पर शुरू की जाएगी और विशेष ई-नीलामी के लॉट को पूरा करने के बाद नियमित ई-नीलामी लॉट जारी रहेंगे। नियमित लॉट और विशेष ई-नीलामी लॉट दोनों को नियमित समय-सारणी में पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात् पूर्वाह्न नीलामी के लिए सुबह 9.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक और दोपहर की नीलामी के लिए दोपहर 2.15 बजे से शाम 6.15 बजे तक।
2. नीलामकर्ताओं द्वारा स्थापित ई-नीलामी केंद्रों में किसानों द्वारा लाई गई इलायची की पूलिंग को प्राथमिकता दी जाए।

दिशा-निर्देश :

पूलिंग एवं ई-नीलामी केंद्रों में हितधारकों द्वारा सख्ती से पालन करने के लिए निम्न लिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

1. प्रतिभागियों को सख्त कोविड प्रोटोकॉल मानकों का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाता है।
2. ई-नीलामी के नीलामीकर्ता और प्रतिभागी जिला प्रशासन और जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कोविड-19 पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
3. नीलामीकर्ता पूलिंग सेंटर/भंडारण क्षेत्रों/ई-नीलामी केंद्रों में किसान बोलीदाताओं, श्रमिकों के उपयोग के लिए पर्याप्त हाथ धोने की सुविधा, मास्क, सैनिटाइज़र उपलब्ध कराएंगे।
4. नीलामकर्ता पूलिंग सेंटर/भंडारण क्षेत्रों/ई-नीलामी केंद्रों में अपनाए जाने वाले वाशिंग प्रोटोकॉल से संबंधित नोटिस प्रदर्शित करेगा।
5. इलायची के बोरे / बारदानों का वजन ऐसा होना चाहिए कि कार्यकर्ता बिना किसी अन्य कार्यकर्ता के सहयोग के गोदाम के अंदर स्वतंत्र रूप से संभाल कर रख सकें / ले जा सकें, ताकि सहकर्मियों के संपर्क से बचा जा सके।
6. इलायची तथा पूलिंग केन्द्रों/नीलामी केन्द्रों की लोडिंग/अनलोडिंग एवं परिवहन के लिए पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय किये जायेंगे।
7. नीलामीकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि इलायची पूलिंग / संग्रह केंद्रों भीड़ से बचा जाए। भीड़ से बचने के लिए टोकन सिस्टम जैसे उचित उपाय अपनाए जा सकते हैं।
8. नीलामीकर्ता पूलिंग केंद्र / भंडारण क्षेत्र / नीलामी केंद्र में न्यूनतम कर्मचारी सदस्यों को नियुक्त करेगा।
9. स्वास्थ्य रक्षा एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए पूलिंग / नीलामी केंद्रों की सफाई दैनिक आधार पर की जाएगी।
10. श्रमिक, किसान, व्यापारी, नीलामकर्ताओं के कर्मचारी किसी भी समय पूलिंग केंद्रों/नीलामी केंद्रों में सामाजिक दूरी का पालन करेंगे।
11. नीलामकर्ता आपात स्थिति के दौरान उपयोग के लिए पूलिंग/नीलामी केंद्र में स्वास्थ्य अधिकारियों / एम्बुलेंस/अग्नि व बचाव आदि के फोन नंबर प्रदर्शित करेगा।